न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 28/2020

GCMS NO. : 2020/00062

–:: प्रार्थी ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

1. राधा देवी पत्नी गोपाल
जाति– ब्राहमण, निवासी– अमरापुरा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

1. नर्बदा देवी पत्नी हीरालाल
2. बंशीलाल पुत्र चुन्नीलाल
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन, तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 07/07/2020

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 28/07/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा अमरपुरा पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायला एवं गैरसायलान् की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसर नम्बर 164 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा भूमि सामलाती आई हुई है। जिसमें सायला का उनके पति के हक हिस्सेनुसार 1/4 का 1/5वां हक हिस्सा आता है तथा मौके पर उसी अनुसार काबिज कास्त है। शेष हिस्सा दीगर गैरसायलान का आता है, चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। सायला विधवा महिला है तथा अपनी कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने एवं सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी योजनाओ का फायदा उठाने हेतू उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के एवं सहमति से बंटवाडा करवाने का निवेदन दीगर गैरसायलान् सहखातेदारान से कई बार किया एवं किसान केडिट कार्ड बनवाने का प्रयास किया तो उसके लिएं अपना हिस्सा अलग से बंटवाडा होना चाहिये जिस पर पटवारी हल्का ने कहा कि गैरसायलान् की सहमति से बंटवाडा करवा लो जिस पर सायला ने दिनांक 28.05.2020 को गैरसायलान् सहखातेदारान् से सहमति से बंटवाडा करवाने का निवेदन किया तो गैरसायलान् संख्या 1 व 2 ने स्पष्ट रूप से इन्कार करते हुए एलानिया कथन किया कि बिना [illegible] करवाये ही उक्त भूमि को किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर देगें तथा अपने [illegible] बल पर तुम्हे मौके से बेदखल कर देगे तथा भूमि को खूर्द बुर्द कर देगे जबकि कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा किया जाना आवश्यक है तथा इन तमाम परिस्थितियो एवं मौके तथा रेवेन्यु रेकर्ड स्थितिनुसार एवं गैरसायलान् के कथनानुसार सायला अपनी उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने की अधिकारी होने से एवं अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् बंटवाडा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:40:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

विरूद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। गैरसायलान् संख्या 1 व 2 सायला को उसके हक हिस्से की कृषि भूमि से एवं काबिज उपयोग उपभोग से जबरदस्ती बेदखल करने को आमाद है तथा सायला की कब्जे काश्त की कृषि भूमि को खूर्द बुर्द कर मौके से बेदखल करने की योजना बना रहे है। यदि गैरसायलान् अपने इन नापाक इरादो मे सफल हो जाते है तथा सायला को मौके से बदेखल कर देते है या सायला के काबिज उपयोग उपभोग मे दखलन्दाजी पैदा करते है या निराई गुडाई फसल कटाई आदि मे दखलन्दाजी पैदा करते है या बिना बंटवाडा किये ही हक हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज हो जाते है एवं बैचान हस्तान्तरण कर देते है तो सायला कों असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी तथा होने वाली क्षति का आंकलन नही किया जा सकेगा तब सायला द्वारा गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे ऐसे अवैधानिक कार्यो का मौके पर विरोध करेगी जिससे मौके पर विवाद होगा तथा मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिग्स् होगी। ऐसी विषम परिस्थितियो मे सायला के पासे अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से एवं गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कार्य एवं रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण तथा मौके से बेदखल आदि को रूकवाने की सायला अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा सायला का उसके हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायला के पक्ष मे प्रमाणित है, यदि गैरसायलान् जोर जबरदस्ती बिना बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है एवं सायला को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायला अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगी एवं सायला को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायल अपने साम्पतिक हक अधिकारो से वंचित हो जायेगी तथा सायला गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो का मौके पर विरोध करेगी तो मौके पर वाद विवाद, लडाई झगडा, टन्टा फसाद होगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी तथा पेचीदगिया बढेगी इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 मे वर्णित मे से सायला अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई बुवाई कटाई निराई गुडाई सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमे गैरसायलान् उसके बाल बच्चे नोकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार नातेदार आदि किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी एवं अडचन व्यवधान रोकटोड आदि तो स्वयं करे न ही अन्य के करावे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अर्थात जब तक उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नही हो जाता तब तक गैरसायलान् उक्त संयुक्त सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयते आदि नही करे एवं सायला को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करे तथा उक्त कृषि भूमि को खूर्द बुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:40:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नही करे परिवर्तन नही करे कच्चा पक्का निर्माण नही करे मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् बनाये रखने वाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या एक व दो की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 हैं।

जबाब प्रार्थनापत्र गैरसायल संख्या 1 नर्बदादेवी व 2 बंशीलाल की और से निम्नलिखित है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनो का जबाब है कि सरहद मौजा अमरपुरा पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे पक्षकारान् की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है जो पिछले 66 वर्षो से अर्थात् पीढीयों से मौके पर खातेदारान् का आपसी सहमति से बंटवाडा होकर जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते है तथा खेतो के बीच मांठ खन्दक तारबन्दी तथा पत्थरो की दीवार की हुई। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि सायला ने उक्त भूमि पर माफिक हिस्से कब्जानुसार बंटवाडा हेतू उतरदाता गैरसायलान् को कभी नही कहा व सायला अपने हिस्से की भूमि से बैंक से ऋण लेवे, किसान केडिट कार्ड आदि बनाने मे सामलाती खातेदारी की भूमि होने पर भी कोई कानूनन रोकटोक नही है व उक्त भूमि के खातेदारान् ने समय समय पर बैंक से ऋण लिया जो जमाबन्दी मे अंकित है। सायला ने उतरदाता गैरसायलान् को उक्त भूमि बाबत् सहमति से बंटवाडा का कहने के कथन गलत है व न ही सायला ने प्रार्थनापत्र मे बंटवाडे हेतू किसी फिकरे मे दिनांक आदि का अंकन भी नही है व सायला मौके पर माफिक हिस्सेनुसार व कब्जा के आधार पर बंटवाडा करवाना चाहे तो उतरदाता गैरसायलान् ने कभी इन्कार नही किया। सायला उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान करना, बेदखल करना, भूमि को खूर्द बुर्द करना आदि के कथन मात्र प्रार्थनापत्र करने की गरज से गलत व झुठे अंकित किये है, मौके पर उक्त भूमि का पीढीयो से अर्थात 66 वर्ष से अधिक समय से बंटवाडा होने से अब नये सिरे से बंटवाडा करवाने की अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि सायला अपने हिस्से की भूमि पर कुछ भी करे उतरदाता गैरसायलान् को कोई सरोकार नही है। सायला को उसकी भूमि के कब्ज़े क़ाश्त उपयोग आदि मे भी कभी बाधा आदि नही की व किसी दिनांक को बेचान करने, उसे कब्जे से बेदखल करने के कथन भी गलत है। उत्तरदाता गैरसायलान् का जितना हिस्सा जमाबन्दी मे दर्ज है उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है व खेतो के बीच मेड, खन्दक व तारबन्दी एवं पत्थरो की दीवार की हुई है तो फिर सायला द्वारा यह कथन करना कि उसके हिस्से से अधिक भूमि पर उतरदाता गैरसायलान् का कब्जा है [illegible] कथन गलत है, बल्कि सायला गैरसायलान् बंटवाडे मे आई भूमि खसरा नम्बर [illegible] 17 बीघा पर अपने हिस्से से अधिक भू भाग व उतरदाता गैरसायलान व [illegible] मेड/खन्दक को खूर्द बुर्द कर दीवार निकालना चाहती थी व उस पर कब्जा करना चाहती थी उस पर उतरदाता गैरसायलान् ने औलबा देने पर सायला ने झुठे कथनो के आधार पर प्रार्थनापत्र पेश किया। सायला का जितना हिस्सा जमाबन्दी मे दर्ज है उस पर वह काबिज है तथा खेतो मे काश्त कर फसल बो रही है तो फिर उसे किसी प्रकार की असीम हानि होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:40:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

खेतो मे काश्त कर फसल बो रही है तो फिर उसे किसी प्रकार की असीम हानि होने का भी प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायला उतरदाता गैरसायलान् के विरूद्ध न तो बंटवाडा व न ही स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने की अधिकारी है। प्रार्थनात्र के पद संख्या 4 मे दर्ज कथनो का जवाब है कि प्रार्थनापत्र वर्णित कृषि भूमि सायला द्वारा प्रस्तुत प्लीडिंग से भी स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि सामलाती खातेदारी का होने का अंकन किया है इस कारण से एक सहकाश्तकार का उक्त भूमि में प्रत्येक इंच व भाग पर अधिकार होने से दुसरे सहकाश्तकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड से व सायला द्वारा प्रस्तुत प्लीडिंग से पक्षकारान् के सामलाती खातेदारी की भूमि है इस कारण से सायला का गैरसायलान् के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया मामला नही है तथा सायला जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है तथा खेती के बीच खन्दक मांठ पत्थर की दीवार, तारबन्दी की हुई हैं। इस कारण से सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष मे नही है। सायला जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर फसल बो रही है व काट रही है, तो फिर उसे असीम हानि होने का भी प्रश्न ही पैदा नही होता है। इसलिए सायला के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक पक्ष मे नही होने से सायला उतरदाता गैरसायलान के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती खातेदारी की होने से उक्त भूमि का पक्षकारान् के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इस ब्राबत् एक मात्र उपचार बंटवाडे का है। जो सायला ने बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है। जिसमे सायला अपना अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है। परन्तु सायला ने मृतक खातेदारान् के विरूद्ध वादपत्र पेश किया है तथा सायला ने त्रुटिपूर्ण वादपत्र पेश किया है। इसलिए सायला का वादपत्र वादपत्र ही पोषणीय नही है, तो टी.आई. स्वतः ही निरस्तनीय है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है, कि सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से पोषण नही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/अप्रार्थी की ओर से अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. 1964 R.R.D. 75

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का विचार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:40:03 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी होने के आधार पर बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर, वाद के विचारण के दौरान अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। जमाबंदी संवत् 2075–2078, ग्राम अमरपुरा से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। यह मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा माना जाता है, ऐसी स्थिती में प्रार्थीया का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थीया के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। लिहाजा यह बिन्दु बखूबी साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** साधारणतयाः वादग्रस्त आराजी के वर्तमान उपभोग/उपयोग का लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। बिन्दु संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी सामलाती भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हिस्से में सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित नहीं होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पडेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होना संभव है। अतः यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:40:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)